



2026:AHC-LKO:19178

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

रिट - ए संख्या - 13023/2025

महेंद्र कुमार वर्मा उर्फ महेंद्र वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से एवं 4

अन्य ।

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, पल्लवी दुबे
विपक्षी के अधिवक्ता:	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 7माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री पल्लवी दुबे तथा प्रतिवादीगण की ओर से राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका दिनांक 08.10.2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (सेवारत अवस्था में मृत्यु) मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है। तदुपरांत, यह प्रार्थना भी की गई है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाए तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता को सहायक उपनिरीक्षक (एम) के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है।

3. यह निवेदित किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय महेश चंद्र वर्मा की दिनांक 04.10.2013 को सेवाकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी तथा अपराध संख्या 222/2013, धारा 302/201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनकी पत्नी बिमलेश कुमारी एवं दो पुत्रों, जिनमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित है, के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह भी निवेदित किया गया है कि तत्पश्चात दिनांक 19.09.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश के माध्यम से, सत्र परीक्षण संख्या 4/2014 (जो अपराध संख्या 222/2013 से संबंधित है) में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

4. यह निवेदित किया गया है कि दोषमुक्ति के उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.11.2018 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया था, किन्तु विवादित (impugned) आदेश में उक्त तथ्य की उपेक्षा की गई है। विवादित आदेश में याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन दिनांक 24.03.2023 को प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 1974 के नियमों के अनुसार निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि से परे था।

5. विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन दिनांक 01.11.2018 को प्रस्तुत किया था, तथा उक्त कथन का खंडन प्रतिउत्तर शपथपत्र के अनुच्छेद 12 में नहीं किया गया है। अतः यह निवेदित किया गया है कि विवादित आदेश गलत आधार पर पारित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 13.02.2026 के प्रतिउत्तर शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए निवेदन किया है कि विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वर्ष 1974 के नियमों का उद्देश्य यह है कि आश्रितों को परिवार के कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के कारण उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए, न कि आश्रितों की इच्छा के अनुसार रोजगार के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। यह भी निवेदित किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पाँच वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया, अतः उसे विधिसम्मत रूप से निरस्त किया गया है, विशेषकर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि याचिकाकर्ता दिनांक 11.11.2015 को वयस्क हो गया था, किन्तु उसके पश्चात लगभग तीन वर्ष के उपरांत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

7. यह भी निवेदित किया गया है कि दिनांक 24.03.2023 के आवेदन पर विचार किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता को शारीरिक परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम ऊँचाई के अभाव में वह उक्त परीक्षण में असफल रहा।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषतः विवादित आदेश के अवलोकन के उपरांत, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया कि वह उसके पिता की मृत्यु के 10 वर्ष 6 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण यह माना गया कि याचिकाकर्ता को कोई असाधारण (undue) आर्थिक कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। आदेश से यह भी परिलक्षित होता है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके उपरांत उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होने की अनुमति प्रदान की गई, किन्तु वह अपेक्षित ऊँचाई के अभाव में उक्त परीक्षा में असफल रहा।

9. यह उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिनांक 01.11.2018 का आवेदन, जिसे रिट याचिका के परिशिष्ट संख्या-7 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया था। रिट याचिका के अनुच्छेद 19 में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त आवेदन प्रथम बार दिनांक 01.11.2018 को प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त कथन का खंडन प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिउत्तर शपथपत्र के अनुच्छेद 12 में नहीं किया गया है।

10. अतः यह स्पष्ट है कि सत्र परीक्षण संख्या 4/2014 में दिनांक 19.09.2018 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दोषमुक्त किए जाने के उपरांत, याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन दिनांक 01.11.2018 को प्रस्तुत किया था, न कि दिनांक 24.03.2023 को।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी आवेदन पर विचार करते समय उपर्युक्त तथ्य संबंधित प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आया।

12. तथापि, विवादित आदेश से यह भी परिलक्षित होता है कि तत्पश्चात दिनांक 24.03.2023 के आवेदन पर विचार किए जाने पर भी याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई, किन्तु वह अपेक्षित ऊँचाई के अभाव में उक्त परीक्षा में सफल नहीं हो सका।

13. उपर्युक्त तथ्य इस बात का भी द्योतक है कि यद्यपि दिनांक 24.03.2023 के आवेदन को याचिकाकर्ता का प्रथम आवेदन माना गया, तथापि विलम्ब को क्षम्य मान लिया गया था, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. तथापि, चूँकि विवादित आदेश इस गलत आधार पर पारित किया गया प्रतीत होता है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रथम आवेदन केवल दिनांक 24.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि दिनांक 01.11.2018 के आवेदन की उपेक्षा की गई, अतः यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 08.10.2025 का विवादित आदेश त्रुटिपूर्ण आधार पर पारित किया गया है और फलतः इसे उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी करते हुए निरस्त किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह वर्ष 1974 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के दिनांक 01.11.2018 के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी आवेदन पर पुनर्विचार करे।

15. ऐसा निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक लिया जाएगा। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वह दिनांक 01.11.2018 के आवेदन की प्रति, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न करें।

16. फलतः, याचिका सफल होती है तथा स्वीकृत की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

दिनांक: 17 मार्च, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।